पत्र संख्या-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का० 3047, अनु० सहित

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त
सभी स्वायत्त संस्था/सभी लोक उपक्रम/निगम/निकाय,
सभी निबंधित गैर सरकारी संस्था (राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त)
झारखंड ।

रांची, दिनांक 6 सितम्बर, 2005

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित भारत का राजपत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि भारत सरकार का उक्त अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है । अधिनियम के प्रावधान निर्गत की तिथि से प्रभावी है एवं उनका अनुपालन समय-सीमा के अंदर किया जाना है :-

2. उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावकारी रूप से लागू किये जाने के निमित्त निम्नांकित पदाधिकारियों का पहचान/चिन्हित किया जाना अपरिहार्य है :-

क) सहायक जन सूचना पदाधिकारी

ख) जन सूचना पदाधिकारी

ग) प्रथम अपीलिय प्राधिकार (जन सूचना पदाधिकारी के उपर)

3. सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि उपर्युक्त पदों पर नामित किये जाने हेतु अपने विभाग/संस्था के पदाधिकारियों की पहचान की जाय जो वरीय पदाधिकारी हों तथा कार्यों का निष्पादन प्रभावकारी ढंग से कर सके । इस व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु सभी विभाग अपने अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों को सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को जन सूचना पदाधिकारी नामित कर सकते हैं । इसी प्रकार प्रमंडल स्तर पदाधिकारियों को प्रथम अपीलिय प्राधिकारी बनाया जा सकता है ।

23)

विभाग स्तर पर भी उसी प्रकार विभाग में पदस्थापित अवर सचिव/उप सचिव को सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा उनसे उपर की पंक्ति के उप सचिव/संयुक्त सचिव को जन सूचना पदाधिकारी एवं विभागीय सचिव को अपीलिय पदाधिकारी बनाया जा सकता है । उक्त सूचना संलग्न प्रपत्र 'क' में 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

4. विभाग को चाहिएं कि उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(b) में अंकित कुल 17 कंडिकाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक कदम अधिनियम निर्गत की तिथि के 120 दिनों के अंदर उठावें ।

5. विभाग को चाहिए कि उक्त अधिनियम की धारा-22 में निहित प्रावधान की समीक्षा करें एवं यदि आवश्यक हों तो संशोधन की आवश्यकता को उल्लेखित करें ।

6. विभाग को चाहिए कि वे आवेदन प्राप्ति, उन पर अनुवर्ती कार्रवाई उत्तर देने जन साधारण को सूचना देने से संबंधित कार्यों के संबंध में एक आंतरिक व्यवस्था को स्थापित करे ।

7. आंतरिक व्यवस्था के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रथम अपील अगले उच्च पदाधिकारी के समक्ष दायर की जाय ।

8. उक्त अधिनियम सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ वैसी संस्थाओं, जिन्हें सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान प्राप्त है, गैर सरकारी संस्थाएँ जिन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित हैं, पर लागू हैं । वैसी संस्थाएँ जो इनसे आच्छादित न होती हो, यदि कोई हो, तो उनकी पहचान कर उसकी सूचना तुरंत उपलब्ध करावें ।

9. अधिनियम के अनुरूप उठाये गए कदम एवं किये गए कार्यों की समीक्षा इस हेतु गठित समिति द्वारा की जाएगी ।

10. सभी विभागों से अनुरोध है कि सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(मुख्तयार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।